राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांकः प्रशिक्षण/जीएनएम/09/251 **दिनांकः–12.6.09**

निदेशक,
जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः– जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रसारण बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांकः प्रशिक्षण/जन./09/250 दिनांकः12.06.09 की दस प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत व दैनिक नवज्योति के राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0–जयपुर।

क्रमाकः प्रशिक्षण/जीएनएम/09/251 **दिनांकः–12.6.09**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान–जयपुर।
3. उप शासन सचिव, (ग्रुप–3),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान–जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउँसिल, जयपुर।
5. प्रभारी सर्वरकक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस संक्षिप्त विज्ञप्ति क्रमांकः प्रशि/जीएनएम/09/250 दिनांकः12.6.09को विभागीय वैबसाईट पर डाउनलोड कराने का श्रम करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/समस्त जिला रोजगार अधिकारियों को इस निदेशालय की संक्षिप्त विज्ञप्ति क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/09/250 दिनांकः 12.06.09 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाने का श्रम करें।
7. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0–जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

कमांक–जीएनएम/प्रशिक्षण/09/250 दिनांक–12.6.2009

संशोधित संक्षिप्त विज्ञप्ति
जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2009–10 में प्रवेश हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.6.09 तक

इस निदेशालय के अधीन संचालित 15 राजकीय तथा 134 निजी नर्सिंग स्कूल्स (संख्या परिवर्तनीय) जिनकी सूची मय उपलब्ध सीटों के विस्तृत विज्ञप्ति में उपलब्ध है, में सत्र 2009–10 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि पूर्व विज्ञप्ति 11.5.09 के द्वारा 15.6.09 (सांय 6 बजे) निर्धारित की गई है को **अब 30.6.09 (सांय 6.00 बजे) तक बढाई जाती है।** आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें संक्षेप में निम्नानुसार है:–

1	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर या इसके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी (10+2) या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण, होना अनिवार्य है किन्तु चयन में फिजिक्स, कैमेस्ट्री एवं **बायलोजी विषय** से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को **प्राथमिकता देय होगी।**
2	आयु (1.10.09 को)	**पुरूष अभ्यर्थी**– न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। महिला अभ्यर्थी– न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 34 वर्ष। **अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को अधिकतम** आयु सीमा **में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।**
3	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या (परिवर्तनीय) राजकीय स्कूल्स = 900 निजी स्कूल्स = 2508 कुल = 3408
4	आरक्षण	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय **है। विकलांग श्रेणी के लिये 3 प्रतिशत** तथा विभागीय कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आधार पर आरक्षण देय **है।**
5	महिला आरक्षण	महिला अभ्यर्थियों के लिये 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। **(आरक्षण की श्रेणीवार किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।)**
6	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष एवं 6 माह, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
7	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/–रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 38000/–रूपये वार्षिक।
8	चयन प्रकिया	राज्य स्तरीय मेरिट एवं (काउंसलिंग के समय) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन किया जायेगा (अभ्यर्थी को 180/–रूपये का राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में **प्रवेश हेतु तथा** 10,000/– रूपये अग्रिम राशि का निजी स्कूल्स में प्रवेश हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट **"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,जयपुर "** के नाम जमा करा देने पर ही काउंसिलिंग में प्रवेश प्राप्त होगा।) अनुपस्थित एवं **उक्त ड्राफ्ट** नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।
9	आवेदन शुल्क	100/–रूपये (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 50 रूपये मात्र) शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो, **आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के नाम देय हो, संलग्न करना आवश्यक है।
10	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	**विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट www. rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।** साथ ही विज्ञप्ति निदेशालय, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों तथा समस्त रोजगार कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जासकती है। **फिर भी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये आवेदन प्रपत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित है,** जिसकी **टंकित/हस्तलिखित प्रति में भी आवेदन स्वीकार्य होगा।**
11	आवेदन किस पते पर	आवेदन **अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,** राजस्थान–जयपुर **के पते पर अब 30.6.09 तक भेजे जा सकते हैं।** लिफाफे पर (जी.एन.एम प्रशिक्षण 2009 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र) आवश्यकरूप से लिखें।

संलग्न आवेदन प्रपत्र

अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या–10 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति को देखें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,